बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 14.01.2020

सं०–14/प्रो० 103/2019–सा०प्र०– 668 / वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 7566 दिनांक – 14.7.10 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र झा, कोटि कमांक–465/11, सम्प्रति भा0 प्र0 से0, को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010'' के प्रावधानों के तहत विभागीय अधिसूचना सं0–7824 दिनांक–11.06.2019 के द्वारा दिनांक–15.06.2009 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया था। श्री सुरेन्द्र झा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2153 दिनांक–24.03.2009 के द्वारा दंडादेश निर्गत था जिसका कुप्रभाव दिनांक–30.06.2011 को समाप्त हुआ।

अतः श्री सुरेन्द्र झा, तत्कालीन बि0प्र0से0, कोटि कमांक–465/11, सम्प्रति भा0प्र0से0 को पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0–7824 दिनांक–11.06.2019 के द्वारा दिनांक–15.06.2009 के प्रभाव से स्वीकृत द्वितीय वितीय उन्नयन के लाभ को निरस्त करते हुये दिनांक–01.07.2011 के प्रभाव से द्वितीय वितीय उन्नयन {पे–बैंड ₹ 15,600– 39,100/–, ग्रेड पे ₹ 7,600/–अपुनरीक्षित (पे लेवल–12 पुनरीक्षित)} की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र झा के वेतन का निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना, 2010 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

3. श्री झा के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्त्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 14/1/2020

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–14/प्रो० 103/2019–सा०प्र०– 668 / पटना–15, दिनांक– 14.01.2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,

Scanned by CamScanner

बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री सुरेन्द्र झा, तत्कालीन बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–465/11, सम्प्रति भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना /संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/ प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय ।

14/1/2020

सरकार के अपर सचिव ।

Scanned by CamScanner